भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1160
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर और शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ

1160. श्रीमती भारती पारधी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (शहरी एचडब्ल्यूसी) सहित कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की राज्य-वार और जिला-वार तथा विशेषकर मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे महानगरों की झुग्गी-झोपडी वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में संख्या कितनी है;

(ख) इन केंद्रों पर निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत निःशुल्क दवाओं और निदान सेवाओं की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है, साथ ही प्रदान किए गए निदान परीक्षणों की संख्या कितनी है और राज्य -वार, जिला-वार और विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्वीकृत की गई, जारी की गई और व्यय की गई धनराशि कितनी है;

(ग) इन केंद्रों पर विशेषज परामर्श प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं (ई-संजीवनी) की तैनाती की राज्यवार और जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा आयुष्मान भारत और संबद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों के लिए शहरी और ग्रामीण गरीब आबादी की जांच हेतु किए/ किए जाने वाले उपाय क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं, विशेषकर घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहाँ अभी तक मातृ मृत्यु दर (एएमआर), शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर) और कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर) के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.12.2025, उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके देश भर में शहरी एएएम सहित 1,82,944 एएएम (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य

केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) संचालित किए गए हैं। देश भर में संचालित एएएम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे जिलों में, जिनमें महानगरों के झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र भी हैं, और उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया सहित जिलों में कार्यरत एएएम की संचयी संख्या अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

निःशुल्क औषधि एवं निःशुल्क निदान सेवा पहल के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी-एएएम) स्तर पर 106 औषधियों और 14 निदान परीक्षणों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी-एएएम) स्तर पर 172 औषधियों और 63 परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक राष्ट्रीय चिकित्सा प्रबंधन (एनएचएम) के अंतर्गत निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा पहल के लिए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) की स्वीकृतियों और व्यय का उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-III और IV में संलग्न है।

देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित सभी कार्यरत एएएम में उपलब्ध टेली परामर्श सेवाओं से व्यक्तियों को उनके घर के निकट ही विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करने और सेवाओं तक पहुंचने तथा सेवा प्रदाताओं की कमी दूर करने में मदद मिलती है और अनुकूलतम परिचर्या प्राप्त होती है। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, एएएम में कुल 42.66 करोड़ टेली परामर्श किए गए हैं।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, देश में सामान्य गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की स्क्रीनिंग और प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। दिनांक 31.12.2025 तक एनपी-एनसीडी पोर्टल के अनुसार, एएएम सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनसीडी के लिए उच्च रक्तचाप हेतु 40.13 करोड़ और मधुमेह के लिए 39.86 करोड़ व्यक्तियों की जांच की गई है।

विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए, सरकार रोग प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने और समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) लागू कर रही है और 'प्रजनन मातृ नवजात बाल किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच + एन)' रणनीति के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी को बढ़ाया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 31.12.2025 तक देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार कार्यरत एएएम की संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत एएएम की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	11,871
3	अरुणाचल प्रदेश	511
4	असम	4,963
5	बिहार	12,144
6	चंडीगढ़	60
7	छत्तीसगढ़	5,898
8	दिल्ली	222
9	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	95
10	गोवा	306
11	गुजरात	10,696
12	हरियाणा	3,269
13	हिमाचल प्रदेश	2,764
14	जम्मू एवं कश्मीर	3,168
15	झारखंड	4,155
16	कर्नाटक	10,126
17	केरल	7,183
18	लद्दाख	321
19	लक्षद्वीप	13
20	मध्य प्रदेश	12,676
21	महाराष्ट्र	12,933
22	मणिपुर	420
23	मेघालय	621
24	मिजोरम	412
25	नागालैंड	485
26	ओडिशा	7,374
27	पुदुचेरी	133
28	पंजाब	3,311
29	राजस्थान	12,669
30	सिक्किम	184
31	तमिलनाडु	8,502
32	तेलंगाना	5,050
33	त्रिपुरा	1,131
34	उत्तर प्रदेश	23,336
35	उत्तराखंड	2,357
36	पश्चिम बंगाल	13,456
कुल		**1,82,944**

अनुलग्नक-II

दिनांक 31.12.2025 तक देश भर में जिला-वार कार्यरत एएएम की संख्या:

क्र.सं.	राज्य	ज़िला	कुल कार्यरत एएएम
1.	महाराष्ट्र	मुंबई उप (शहरी)	178
2.	महाराष्ट्र	मुंबई	55
3.	महाराष्ट्र	थाइन	347
4.	महाराष्ट्र	पुणे	825
5.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	392
6.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	306
7.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	418
8.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	363
9.	उत्तर प्रदेश	रामपुर	267
10.	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फुले नगर	215
11.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	360
12.	उत्तर प्रदेश	बागपत	182
13.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	297
14.	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्धनगर	101
15.	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर	418
16.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ	411
17.	उत्तर प्रदेश	महामाया नगर	206
18.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	186
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा	486
20.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	289
21.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	223
22.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	373
23.	उत्तर प्रदेश	बरेली	560
24.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	264
25.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	326
26.	उत्तर प्रदेश	खेरी	453
27.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	569
28.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	439
29.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	344
30.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	353
31.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	349
32.	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद	227
33.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	217
34.	उत्तर प्रदेश	इटावा	191
35.	उत्तर प्रदेश	औरैया	157
36.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	213
37.	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	504
38.	उत्तर प्रदेश	जालौन	245
39.	उत्तर प्रदेश	झांसी	358

40.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	150
41.	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	169
42.	उत्तर प्रदेश	महोबा	112
43.	उत्तर प्रदेश	बाँदा	216
44.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	151
45.	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर	297
46.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	323
47.	उत्तर प्रदेश	कौशांबी	207
48.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	703
49.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	434
50.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	302
51.	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर नगर	342
52.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	281
53.	उत्तर प्रदेश	बहराईच	425
54.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	125
55.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	254
56.	उत्तर प्रदेश	गोंडा	376
57.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	369
58.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	342
59.	उत्तर प्रदेश	संतकबीरनगर	222
60.	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	275
61.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	677
62.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	321
63.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	321
64.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	615
65.	उत्तर प्रदेश	मऊ	230
66.	उत्तर प्रदेश	बलिया	435
67.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	460
68.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	377
69.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	261
70.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	341
71.	उत्तर प्रदेश	संत रविदास नगर (भदोही)	149
72.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	311
73.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	224
74.	उत्तर प्रदेश	एटा	245
75.	उत्तर प्रदेश	कांशीराम नगर	185
76.	उत्तर प्रदेश	संभल	273
77.	उत्तर प्रदेश	शामली	144
78.	उत्तर प्रदेश	हापुड	183
79.	उत्तर प्रदेश	अमेठी	247

अनुलग्नक-III

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत नि:शुल्क औषधि सेवा पहल के लिए एसआईपी अनुमोदन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2	आंध्र प्रदेश	2018.90	2018.90	3,615.83	3,615.83	6,420.48	6,265.91
3	अरुणाचल प्रदेश	435.00	414.48	456.00	770.23	436.00	459.42
4	असम	17638.60	16323.73	15,311.65	12,833.39	21,160.29	18,740.44
5	बिहार	20254.33	18496.39	21,337.69	16,814.49	32,160.12	34,683.84
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	2000.00	9300.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंव दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	807.00	618.64	807.00	372.23	820.46	349.30
11	गुजरात	3487.86	2365.87	3,558.09	2,754.10	3,779.92	2,085.00
12	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	263.60	6.06
13	हिमाचल प्रदेश	10000.00	6858.25	10,000.00	7,504.34	9,531.45	6,834.96
14	जम्मू और कश्मीर	1200.00	1200.00	2,900.00	1,600.00	3,077.16	1,008.19
15	झारखंड	2300.00	648.75	2,300.00	475.10	3,559.67	2,348.10
16	कर्नाटक	14815.00	3573.60	15,583.00	3,077.49	15,706.09	1,516.59
17	केरल	25169.00	21648.91	25,169.00	7,000.00	3,995.00	0.00
18	लद्दाख	305.00	74.67	305.00	68.58	320.00	190.32
19	लक्षद्वीप	25.67	20.04	26.95	25.48	26.95	10.05
20	मध्य प्रदेश	10272.21	11687.60	11,325.11	15,014.38	42,075.95	19,402.27
21	महाराष्ट्र	29463.29	16840.02	31,799.25	9,026.62	36,976.00	1,745.81
22	मणिपुर	1580.00	660.67	1,810.00	1,508.16	2,500.90	2,046.96
23	मेघालय	287.00	592.12	287.00	2,662.75	697.04	405.21
24	मिजोरम	354.78	95.83	364.39	416.86	358.38	168.18
25	नागालैंड	466.64	385.10	490.00	868.71	524.22	662.01
26	ओडिशा	1122.78	254.29	1,653.21	905.12	775.17	104.64
27	पुदुचेरी	45.00	35.32	45.00	-	45.00	36.49
28	पंजाब	4720.00	9589.11	4,956.00	4,956.00	19,935.77	6,530.28
29	राजस्थान	63193.90	61186.16	63,193.90	59,437.79	107,041.15	94,137.29
30	सिक्किम	600.00	663.67	700.00	389.18	425.00	425.15
31	तमिलनाडु	15000.00	11429.09	30,000.00	13,416.74	14,691.72	14,643.72
32	तेलंगाना	7851.68	3562.18	7,851.68	0.00	152.32	152.32
33	त्रिपुरा	450.00	68.66	450.00	29.02	215.00	136.92
34	उत्तर प्रदेश	11733.98	204.68	13,489.33	452.13	19,556.79	719.37
35	उत्तराखंड	2792.00	2417.07	2,500.00	1,215.72	2,867.30	2,409.03
36	पश्चिम बंगाल	10000.00	5638.70	10,000.00	435.00	10,000.00	1,317.20

टिप्पणी:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्रीय निधि, राज्य निधि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची राशि के लिए व्यय शामिल है।

अनुलग्नक-IV

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निःशुल्क निदान सेवाओं की पहल के लिए एसआईपी अनुमोदन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	10368.97	1559.80	16,281.77	15,175.03	9,138.22	8,523.70
3	अरुणाचल प्रदेश	1489.25	1404.15	1,563.70	2,225.30	1,676.00	1,675.88
4	असम	9136.37	8532.75	9,875.54	11,456.41	9,334.25	7,045.70
5	बिहार	17566.93	6019.67	19,431.74	7,808.68	10,457.56	8,103.86
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	3180.00	3181.95	1,280.00	0.00	3,108.85	2.71
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गुजरात	32.50	6.89	32.00	217.82	422.51	291.56
12	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	2000.00	3271.12	2,000.00	2,642.24	5,000.00	4,693.74
14	जम्मू और कश्मीर	2364.66	469.76	4,438.59	860.71	3,549.02	1,724.30
15	झारखंड	0.00	87.05	0.00	104.77	1,848.00	571.11
16	कर्नाटक	11989.39	4602.80	10,428.97	8,354.52	11,193.06	4,534.81
17	केरल	1813.12	217.85	0.00	66.40	861.00	379.63
18	लद्दाख	87.88	24.00	87.88	67.64	150.00	138.46
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	15707.32	14199.18	16,768.51	17,426.37	18,252.18	17,619.94
21	महाराष्ट्र	18071.71	25007.13	19,866.27	25,097.06	34,629.61	24,406.10
22	मणिपुर	1050.00	1366.75	1,212.00	368.80	2,500.00	3,479.20
23	मेघालय	0.00	1001.25	0.00	144.37	0.00	91.66
24	मिजोरम	1273.00	102.77	1,368.00	1,358.63	221.84	126.12
25	नागालैंड	163.00	0.00	171.15	0.19	179.71	0.00
26	ओडिशा	5022.08	4091.44	4,356.77	13,115.14	5,027.82	8,180.35
27	पुदुचेरी	7.63	14.93	147.63	3.13	147.62	0.00
28	पंजाब	1200.00	4321.95	1,275.00	1,275.00	2,845.31	3,136.32
29	राजस्थान	21621.09	3306.90	21,621.09	786.10	17,973.80	3,893.53
30	सिक्किम	72.59	71.26	100.00	98.79	150.00	149.98
31	तमिलनाडु	11208.84	8838.09	19,001.28	3,423.57	8,150.91	5,916.33

32	तेलंगाना	476.04	2993.69	138.60	36.28	0.00	0.00
33	त्रिपुरा	1643.00	1919.79	1,855.01	736.85	2,412.66	1,487.48
34	उत्तर प्रदेश	31934.19	10052.89	37,984.25	13,153.37	42,853.90	15,055.50
35	उत्तराखंड	2235.00	1424.69	2,050.00	2,159.46	4,190.00	3,633.68
36	पश्चिम बंगाल	25743.00	21478.76	28,453.28	14,284.88	32,927.89	6,682.89

टिप्पणी:

1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्रीय निधि, राज्य निधि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची राशि के लिए व्यय शामिल है।

****